



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265712
CG-DL-E-26082025-265712

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]
No. 229]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2025/भाद्र 4, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2025/BHADRA 4, 1947

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

फा. सं. 5/1/2024-एनएस-भाग(1).—केंद्रीय सरकार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 2 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि

- (i) **7.70%** (सात दशमलव सात शून्य प्रतिशत) भारत सरकार एनएसएसएफ (सी) (राष्ट्रीय लघु बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2035-36 लोक ऋण कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में रखे गए अनुषंगी सामान्य बही खाते में धारक के नाम से रखे जाने वाले 'स्टॉक' के रूप में जारी की जाएगी; और
- (ii) ये प्रतिभूतियां हस्तांतरणीय नहीं होंगी।

व्यासन आर., संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2025

F. No. 5/1/2024-NS-Part(1).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006), the Central Government hereby specifies that

- (i) **7.70% (Seven point seven percent) Government of India NSSF (C) (Non-trans) Special Securities, 2035-36** shall be issued in FY 2025-26 in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained by the Public Debt Office; and
- (ii) These securities shall not be transferable.

VYASAN R., Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

**7.70% भारत सरकार (राष्ट्रीय लघु बचत निधि) (सी) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति,
2035-36 का निर्गम**

फा. सं. 5/1/2024-एनएस-भाग(1).—भारत सरकार, एतद्वारा 7.70 प्रतिशत भारत सरकार राष्ट्रीय लघु बचत निधि (सी) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूतियां, 2035-36 (इसमें इसके पश्चात इसे “विशेष प्रतिभूति” कहा गया है) का निर्गम अधिसूचित करती है।

2. उद्देश्य:

भारत के लोक लेखे में “राष्ट्रीय लघु बचत निधि” (एनएसएसएफ) नामक नई निधि के सृजन के परिणामस्वरूप समय-समय पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि से प्राप्त राशि के लिए केंद्रीय सरकार इसके अंतर्गत अधिसूचित विशेष प्रतिभूतियां जारी करेगी।

3. विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान के लिए पात्रता:

सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट एनएसएसएफ द्वारा निवेश की राशि के लिए विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होंगे।

4. अभिदान:

विशेष प्रतिभूतियां ₹1,00,000 (अंकित मूल्य) की राशि के लिए और इसके बाद ₹1,00,000 के गुणकों में जारी की जाएंगी।

5. प्रतिभूतियों का स्वरूप:

विशेष प्रतिभूतियां, लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में रखे गए अनुषंगी सामान्य बही खाते में धारक के नाम रखे जाने वाले ‘स्टॉक’ के रूप में जारी की जाएंगी।

6. निर्गम का मूल्य, तारीख और स्थान:

- (i) विशेष प्रतिभूतियां सममूल्य पर जारी की जाएंगी।

- (ii) विशेष प्रतिभूतियां जारी करने की तारीख भारत सरकार के सहायक सामान्य बही खाते में विशेष प्रतिभूतियों के जमा होने की तारीख होगी।
- (iii) विशेष प्रतिभूतियां, लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में जारी की जाएंगी।

7. अवधि:

विशेष प्रतिभूतियों की अवधि निर्गम की तारीख से **10 वर्ष** होगी।

8. ब्याज

- (i) विशेष प्रतिभूतियों पर **7.70%** (सात दशमलव सात शून्य प्रतिशत) प्रति वर्ष ब्याज लगेगा जो विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम की तारीख से शुरू करके अर्ध-वार्षिक आधार पर देय होगा। प्रतिभूतियों पर ब्याज लोक ऋण कार्यालय (अर्थात् निर्गम कार्यालय), भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में देय होगा।
- (ii) ब्याज निकटतम सौ रुपए के पूर्णांकन के बाद संदेय होगा।

9. चुकौती:

भारत सरकार विशेष प्रतिभूतियों की चुकौती निर्गम की तारीख के अगले वर्ष से प्रारंभ करके दस बराबर किस्तों में करने हेतु 'कॉल ऑप्शन' का प्रयोग करेगी।

10. हस्तांतरणीयता और संपरिवर्तन

विशेष प्रतिभूतियां हस्तांतरणीय नहीं होंगी और जब तक सरकार द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, तब तक किसी अन्य रूप में इनके संपरिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

11. सांविधिक उपबंध:

ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसका इस अधिसूचना में उल्लेख नहीं किया गया है, विशेष प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) द्वारा अभिशासित होंगी।

व्यासन आर., संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2025

Issue of 7.70% Government of India NSSF (C) (Non-trans) Special Securities, 2035-36

F. No. 5/1/2024-NS-Part(1).—The Government of India, hereby notifies the issue of **7.70 per cent** Government of India NSSF (C) (Non-trans) Special Securities, 2035-36 (hereinafter called "special securities").

2. Objective:

Consequent upon the creation of a new fund in the Public Account of India called the "National Small Savings Fund" (NSSF), the Central Government shall issue the Special Securities notified hereunder against the amounts received by the Government from NSSF from time to time.

3. Eligibility for subscribing to special securities:

The Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, shall be eligible to subscribe to special securities for the amounts invested by NSSF as specified by the Central Government from time to time.

4. Subscription:

Special securities will be issued for an amount of ₹1,00,000 (face value) and in multiples of ₹1,00,000 thereafter.

5. Form of securities:

The special securities will be issued in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

6. Price, Date and Place of Issue:

- (i) The special securities will be issued at par.
- (ii) The date of issue of special securities shall be date of credit of special securities to Subsidiary General Ledger Account of NSSF.
- (iii) The Special Securities will be issued at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

7. Tenure:

The tenure of the special securities will be **10 years** from the date of issue.

8. Interest:

- (i) The special securities shall bear the interest at the rate of **7.70%** (Seven point seven per cent.) per annum which will be payable at half yearly basis reckoned from the date of issue of the special securities. Interest on the securities will be payable at the Public Debt Office (i.e. the office of Issue), Reserve Bank of India, Nagpur.
- (ii) Interest will be paid after rounding off to nearest hundred rupees.

9. Repayment:

The Government of India shall exercise the 'call option' to redeem the special securities in ten equal instalments starting from the next year from the date of the issue

10. Transferability and conversion:

The Special Securities shall not be transferable and conversion of the securities to any other form shall not be permitted, until and unless otherwise specified by the Government.

11. Statutory Provisions:

With respect to any such matter which has not been provided under this notification, the special securities shall be governed by the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006).

VYASAN R., Jt. Secy.